औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या : 3090/77-6-03-41(टैक्स)01

लखनऊः दिनांक : 6 नवम्बर, 2003

भारत के संविधान के अनुच्छेद-१६२ के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुये, शासनादेश संख्याः३८०६/७७-६-२००२-४१ (टैक्स)/०१, दिनांक मार्च ११, २००३ के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश में मेगा इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003

1- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, २००३ कही जाएगी।

1(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

1(3) यह दिनांक नवम्बर 6, 2003 से प्रवृत्त होगी।

2- परिभाषाएं

क. 'बिक्री की प्रथम तिथि' का तात्पर्य चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित, नये पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

ख. 'पूँजी निवेश' का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी तथा पूँजीगत् परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि दिनांक ११.३.०३ को या उसके बाद पड़ती हो।

ग. 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च ११, २००३ को या उसके बाद पड़ती हो।

घ. 'मेगा इकाई' का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयों से है :-

(i) खाद्य प्रसस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें १० करोड या अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो;

(ii) पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें १० करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया ;

(iii) अन्य जनपदो में स्थापित सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयाँ जिनमें २५ करोड रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो।

ङ. पूर्वांचल का तात्पर्य अनुलग्नक-१ में उल्लिखित जनपदों से है।

च. बुन्देल खण्ड का तात्पर्य अनुलग्नक-२ में उल्लिखित जनपदों से है।

छ. 'वार्षिक विक्रय धन' का तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा किये गये नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की दिनांक ०१ अप्रैल अथवा, यथास्थिति, बिक्री की प्रथम तिथि से अग्रिम ३१ मार्च की अवधि में, की गयी बिक्री से है।

ज. पिकप का तात्पर्य दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एंण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, १९५६ के तहत एक सरकारी कम्पनी है।

झ यू.पी.एफ.सी. का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ की धारा-३ के तहत गठित वित्तीय निगम है।

ञ. 'ऋण वितरण की तिथि' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को चेक उपलब्ध करा दिया जाय।

ट 'ऋण भुगतान की तिथि' उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन इकाई द्वारा पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध करा दिया जाय।

ठ. 'वर्ष' का तात्पर्य दिनांक ०१ अप्रैल से ३१ मार्च की अवधि से है।

ब्याज मुक्त ऋण की अवधिः पात्र इकाइयों द्वारा नये पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से १० वर्ष तक होगी।

ऋण की सीमाः किसी वर्ष में ऋण की सीमा प्रस्तर ५(४) के प्राविधान के अनुरूप होगी जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय-धन पर उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के १० प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

ऋण स्वीकृति तथा वसूली की प्रक्रियाः ५(१) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम ३० सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियाँ पिकप/यू.पी.एफ.सी. को देगीं। पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाइयाँ ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगीं तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी।

५(२) पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को नये पूँजी निवेश के-माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर प्रस्तर५(४) के प्राविधानों के अनुसार आगणित धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग की धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के १० प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेगें।

५(३) प्रबन्ध निदेशक पिकप / यू.पी.एफ.सी. का यह दायित्व होगा कि ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के ३० दिन के अन्दर कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुये इकाई को अग्रिम एक सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अस्वीकरण के विरुद्ध इकाई सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को प्रार्थना पत्र दे सकती है जिस पर निर्णय प्रस्तर-१२ में गठित समिति द्वारा इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया जाएगा।

५(४) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूँजी निवेश व ऐसे पूँजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के

माना जायेगा।

५(१२) ब्याज मुक्त ऋण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इकाई द्वारा वापस की गई धनराशि का भुगतान पहले मूलधन में किया जाएगा। उसके पश्चात अवशेष धनराशि का भुगतान देय ब्याज, यदि कोई हो, में किया जाएगा।

ऋण की धनराशि की सुरक्षा

५(१३) पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों पर पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुये द्वितीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल-बॉण्ड मांग सकते हैं।

५(१४) निर्धारित तिथि पर भुगतान न किये जाने की दशा में पिकप/यू.पी. एफ.सी. पात्र इकाई को कारण बताओ नोटिस देंगे तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर इकाई के विरूद्ध बकाया धनराशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु 'वसूली प्रमाण-पत्र' जारी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाद भी दायर करेंगे या अन्य समुचित विधिक कार्यवाही करेंगे व लिमिटेड कम्पनी की दशा में उसकी वाइन्डिंग-अप के लिये सक्षम न्यायालय से अनुरोध करेंगे।

५(१५) पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा अधिकृत अधिकारी पात्र इकाई की फैक्ट्री, दुकान, गोदाम वाहन तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई द्वारा योजना की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

५(१६) इस योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन्हीं पात्र इकाइयों को स्वीकृत की जाएगी जो राज्य एवं केन्द्र सरकार के भुगतान में वितिथि (डिफॉल्टर) न हों तथा इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र उनके द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराया जाए।

६ प्रतिबन्ध — पात्र इकाई पर प्रतिबंध होगा कि वह बिना पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पूर्व लिखित स्वीकृति के न तो इकाई के कॉन्स्टीट्यूशन, फैक्ट्री तथा पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करेंगे और न ही इकाई अपनी परिसम्पत्तियों को बेचेगी, किराये पर देगी या परिसम्पत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन करेगी।

७ शर्त-६ के उल्लंघन का प्रभाव — यदि पात्र इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-६ की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा गलत तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो पिकप/यू.पी.एफ.सी. को इकाई को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, स्वीकृत ऋण निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे आदेश की प्राप्ति तिथि को सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय हो जायेगी। अवशेष ऋण के भुगतान में देरी की दशा में पात्र इकाई ऋण देय होने की तिथि तथा वास्तविक भुगतान की तिथि की अवधि के लिये १.२५ प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज की देनदार होगी।

८ पात्र इकाई के दायित्व — ऋण देयता की अवधि में, पात्र इकाई के लिये निम्नलिखित व्यवस्था आवश्यक होगी :-

आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार-कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

रुपये (करोड़ में) सारिणी (परिकल्पित आँकड़े)

पूँजी निवेश	वार्षिक विक्रय धन	पूँजी निवेश /वार्षिक विक्रय धन का अनुपात	ब्याज मुक्त ऋण (वार्षिक विक्रय धन के प्रतिशत के रूप में)
१०.००	१०.०० या कम	१० : १० या उससे कम	५x१०/१०=५% प्रतिशत
१०.००	१२.००	१० : १२	५x१२ /१०=६%
१०.००	१५.००	१० : १५	५x१५ /१०=७.५%
१०.००	२०.०० या अधिक	१० : २०	५x२० /१०=१०%

५(५) ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात ऋण भुगतान की अंतिम तिथि के अगले ५ वर्ष तक इकाई बन्द न कर दी जाये इस हेतु व्यवस्था एम.ओ.यू. के माध्यम से पिकप / यू.पी.एफ.सी. द्वारा की जायेगी।

५(६)पिकप/यू.पी.एफ.सी. ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेंगे। बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल में स्थापित होने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुनदेलखण्ड व पूर्वान्चल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यू०पी०एफ०सी को उपलब्ध करायेंगे।

५(७) पिकप/यू.पी.एफ.सी. को स्वीकृत ऋण राशि लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा बाद में आवंटित किया जाएगा।

५(८) प्रत्येक वर्ष वसूल हुये ऋण तथा ब्याज को उसी वर्ष में उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जायेगा।

५(९)औद्योगिक विकास विभाग उपरोक्त ऋण लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे। वह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांग का प्रस्ताव करेंगे।

५(१०) वितरित किये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के ७ वर्ष की समाप्ति की ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जाएगी।

५(११)निर्धारित अवधि में ऋण की राशि वापस न करने पर पात्र इकाई को देरी की अवधि के लिये १.२५ प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देना होगा। प्रत्येक माह अथवा उसके भाग को इस हेतु एक माह

11 अनुबन्ध — इन नियमावली के प्रतिबंध / प्रावधान लागू करने के लिये पात्र इकाई विभाग / यू.पी.एफ.सी. के साथ अनुबन्ध निष्पादित करेगी।

12 समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण —

i. इस योजना के किसी बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

ii. [illegible] प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे-

क. सचिव, वित्त

ख. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।

ग. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।

घ. [illegible] निदेशक [illegible] प्रदेश [illegible] विभाग।

आज्ञा से,

(राकेश गर्ग)
सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-६
संख्या- 674/77-6-05-41टैक्स /01
लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2005

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल शासनादेश संख्या - 3090 /77-6-03- 41टैक्स /01 दिनांक 06-11-2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित करते है :-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन(संशोधन)नियमावली,2005

1.संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) (प्रथम) नियमावली, 2005 कही जाएगी ।

1(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी ।

1(3) यह दिनांक 11.3.03 से 5.11.03 के मध्य की पात्र इकाइयों पर प्रभावी होगी

2. नये नियम 13 को बढाया जाना

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 जिसे आगे उक्त नियामवली कहा गया है के नियम-12 के पश्चात स्तम्भ-2 में नया नियम- 13 बढ़ा दिया जावेगा । अर्थात-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ- 2 एतद्द्वारा बढाया गया नियम
	13- **अपवाद**- "नियमावली में किसी अन्यथा प्राविधान के होते हुये भी ऐसी पात्र मेगा इकाईयों जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि-11.3.03 सं 5.1103 के बीच हो, जिन्होने नियमावली के प्रस्तर-5 (1) के अनुसार दि0- 30.9.04 तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रस्तर - 5 (6) में उल्लिखित

	प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया हो, को इकाई के वार्षिक विक्रय धन का न्यूनतम 5 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसा ऋण व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भुगतान की गई धनराशि से सीमित नहीं होगा । नियमावली के प्रस्तर-5(4) के प्राविधान ऐसी इकाईयों के संबंध में लागू नहीं होगे किन्तु नियामवली के अन्य प्राविधान ऐसी इकाईयों पर यथावत प्रभावी रहेगें ।"

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग।

उत्तर प्रदेश सरकार
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 1776/77-6-05-41 टैक्स/01
लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई 2005

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या-3090/77-6-03-41(टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) नियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 13 का संशोधन

2 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में किया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13-अपवाद-'नियमावली में किसी अन्यथा प्राविधान के होते हुए भी ऐसी पात्र मेगा इकाईयो जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 11.03.2003 से 05.11.2003 के बीच हो, जिन्होंने नियमावली के प्रस्तर-5 (1) के अनुसार दिनांक 30.09.2004 तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रस्तर-5(6) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया हो, को इकाई के वार्षिक विक्रय धन का न्यूनतम् 5 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसा ऋण व्यापार-कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भुगतान की गयी धनराशि से सीमित नहीं होगा। नियमावली के प्रस्तर-5(4) के प्राविधान ऐसी इकाईयों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे किन्तु नियमावली के अन्य प्राविधान ऐसी इकाईयों पर यथावत् प्रभावी रहेंगे।	13-अपवाद-इस नियमावली में किसी अन्यथा प्राविधान के होते हुए भी ऐसी पात्र मेगा इकाईयो जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 11.03.2003 से 05.11.2003 के बीच हो, जिन्होंने नियम-5(1) के अनुसार दिनांक 30.09.2004 तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु नियम 5(6) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया हो, को इकाई के वार्षिक विक्रय धन का 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसा ऋण व्यापार-कर एव केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भुगतान की गयी धनराशि से सीमित नहीं होगा। नियम-5(4) के प्राविधान ऐसी इकाईयों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे किन्तु इस नियमावली के अन्य प्राविधान ऐसी इकाईयों पर यथावत् प्रभावी रहेंगे। उल्लिखित 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण का निर्धारण यू.पी.एफ.सी. तथा पिकप द्वारा निम्न सारणी के अनुसार किया जायेगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्तम्भ-1 स्तम्भ-2

रूपये (करोड़ में) सारणी (परिकल्पित ऑकड़े)

पूँजी निवेश	वार्षिक विक्रय धन	पूँजी निवेश/वार्षिक विक्रय धन का अनुपात	ब्याज मुक्त ऋण (वार्षिक विक्रय धन के प्रतिशत के रूप में में)
10.00	10.00 या कम	10 :10 या उससे कम	5x10/10=5% प्रतिशत
10.00	12.00	10:12	5X12/10=6%
10.00	15.00	10:15	5x15/10=7.5%
10.00	20.00 या अधिक	10:20	5X20/10=10%

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-2959 /77-6-06-41-टैक्स/01
लखनऊ:दिनांक 14 दिसम्बर,2006

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2003 जो शासनादेश संख्या- 3090/77-6-03-41 (टैक्स)/01 दिनांक 06 नवम्बर, 2003 द्वारा बनाई गई थी, यथा संशोधित में निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (तृतीय संशोधन), 2006

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ — 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (तृतीय संशोधन) 2006 कही कही जायेगी;
(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- नियम-2का संशोधन — औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2003 के नियम-2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड-ग व घ (1) के स्थान पर स्तम्भ -2 में, एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड-ग व घ रख दिये जायेगें तथा खण्ड-ट के पश्चात नया खण्ड-ड बढ़ा दिया जायेगा। अर्थात

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
ग- 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो	ग- 'पात्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि मार्च 11, 2003 को या उसके बाद पड़ती हो। प्रतिबन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में पात्र इकाई ऐसी इकाई को माना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.03.2003 या उसके बाद पड़ती हो।
घ- मेगा इकाई का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयो से है:-	घ- मेगा इकाई का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयो से है:-
(1) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का निवेश किया हो;	(1) खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 10 करोड़ या अधिक का निवेश किया हो। प्रतिबन्ध यह है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित ऐसी इकाईयों जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि 29.12.04 को या उसके बाद पड़ती हो तथा जिनमें पूंजी

निवेश रू0 5.00 करोड़ या अधिक हो, को भी मेगा इकाई माना जायेगा ।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम
ड- पायनियर इकाई से तात्पर्य किसी जनपद में स्थापित होने वाली प्रथम पात्र मेगा इकाई से है	"प्रतिबन्ध यह है कि पायनियर इकाई की दशा में ऐसी इकाई को पात्र माना जायेगा जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि 11.03.2003 या उसके बाद पड़ती हो।"
	प्रतिबंध यह है कि किसी जनपद में प्रथम इकाई, ऐसी पात्र इकाई को माना जायेगा जिसके द्वारा निम्न शर्तें भी पूरी की जाय:-
	(1) जिसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में सर्वप्रथम पड़ती हो।
	(2) यदि एक से अधिक इकाईयों की बिक्री की प्रथम तिथि जनपद में एक ही दिन पड़ती हो तो ऐसी इकाई को प्रथम इकाई माना जायेगा जिसने सेक्रेटिरियट फार इण्डस्ट्रियल एप्रूवल, उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से सर्वप्रथम आशय पत्र (एल.ओ.आई.) अथवा इच्छा पत्र (आई.ई.एम.) शामिल कर एकनोलेजमेन्ट प्राप्त कर लिया हो।
	पाइनियर इकाई की पात्रता का निर्धारण जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें संबंधित जनपद के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, व्यापार कर विभाग के नामित कर निर्धारण अधिकारी एवं जिलाधिकारी होगें। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी जिस अधिकारी को उचित समझे, विशेष आमंत्री के रूप में समिति में नामित कर सकते है। पात्रता निर्धारण के उपरान्त पात्र इकाई को पात्रता प्रमाणपत्र जिलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। पात्र पाइनियर इकाई पात्रता प्रमाणपत्र के साथ प्रिकप/यू.पी. एफ.सी. में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करेंगे ।

3- नियम-3 का संशोधन — औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-3 जो ब्याज ऋण मुक्त से संबंधित है में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा बढ़ाये जाने वाले नियम
3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी	3-पात्र इकाइयों द्वारा नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी किन्तु पायनियर इकाई के लिए नये पूंजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री की प्रथम तिथि से 15 वर्ष तक की होगी।

4- नियम-5 का संशोधन — औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के नियम-5 में निम्नवत् संशोधन किये गये है:-

उक्त नियमावली में नियम-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उप नियम-(1), उप नियम-(4), उप नियम-(6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम- (1),उप नियम-(4), उप नियम-(6) रख दिया जाएगा तथा पायनियर इकाईयों के लिए नियम-5(10) भी संशोधित हो जाएगा अर्थात-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अंतिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउंटेट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पिकप द्वारा वित्त पोषित इकाईयां ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगी तथा शेष इकाईयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा । पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी।	5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अंतिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टेड एकाउंटेट से प्रमाणित तीन प्रतियां पिकप/ यू.पी.एफ.सी. को देगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देय व्यापार कर एवं केन्द्रीय विक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं पिकप के मध्य इकाईयों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा:-

(1) किसी भी जनपद में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा पर आधारित ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें 5-15 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो।	किसी भी जनपद में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण अथवा पशु सम्पदा पर आधारित ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें 15 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।
(2) किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की इकाईयां जिसमें 10 से 15 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हों।	किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की इकाईयां जिनमें 15.00 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।
(3) उपरोक्त (1) व (2)के अतिरिक्त पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिसमें 10-15 करोड़ तक पूंजी निवेश किया गया हो।	उपरोक्त (1) व (2) के अतिरिक्त पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें 15 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।
(4) उपरोक्त (1), (2) व (3) के अतिरिक्त किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईया जिनमें 25-30 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया गया हो।	उपरोक्त (1), (2) व (3) के अतिरिक्त किसी भी जनपद में स्थापित होने वाली सभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयां जिनमें 30 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो।

यदि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा विकल्प ने किसी इकाई को स्वयं वित्त पोषित भी किया हो तो उपरोक्तानुसार सीमा से बाहर होते हुए भी दूसरे निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर वह इस योजना में वित्त पोषित कर सकते है। ऐसा करना कार्यहित / उद्योग हित / निगम हित में होगा।

5(4) ब्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

5(4) व्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये पूंजी निवेश व ऐसे पूंजी निवेश से निर्मित माल के वार्षिक विक्रय धन के अनुपात के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की सीमा में रहते हुए निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

प्रतिबंध यह है कि पायनियर इकाईयों को प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष के लिए ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। जिसकी वापसी ऋण वितरण के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के बाद होगी। शेष शर्तें यथावत बनी रहेंगी।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि सभी नयी वृहद औद्योगिक इकाईयां जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा महिला कार्यरत हो अथवा 500 से अधिक महिलाएं स्थाई रूप से नियुक्त हो अथवा जिनमें 25 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारी कार्यरत हों, को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज रहित ऋण के अतिरिक्त वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत अथवा प्रदत्त व्यापार कर व केन्द्रीय बिक्री कर के योग, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा में रहते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगें। बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल में स्थापित होने वाली इकाईयों के संबंध में योजनान्तर्गत ऋण हेतु धनराशि बुन्देलखण्ड व पूर्वान्चल विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/ यू.पी. एफ.सी. को उपलब्ध करायेगें ।	5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगें । वांछित धनराशि की बजट व्यवस्था औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवंटित कराकर पिकप/यू.पी.एफ.सी. को यथावश्यकता उपलब्ध कराई जायेगी।
5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।	5(10) वितरित किये गये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। किन्तु पायनियर इकाई के लिए ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के ठीक 10 वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू0पी0एफ0सी0 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।

5- नियम-10 मे संशोधन — उक्त नियमावली में नियम-10 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम-10 के

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम
10 ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल है, पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।	10 ब्याज मुक्त ऋण मे आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल है, के अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)
औद्योगिक विकास आयुक्त
एवं पदेन प्रमुख सचिव